

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रागेश कुमार पाण्डेय पिता-कल्पना नाथ पाण्डेय ग्राम-जैतीया पाण्डेय टोला पो०-जैई छपरा थाना-मांझी जिला-सारण सी.आरनं०-2015047392	किडनी रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	संजय कुमार सिंह पिता-राम केवल सिंह ग्राम-कठरी पो०-वार थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद सी.आरनं०-2015000160	किडनी रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	नामीन्द्र सिंह पिता-स्व. नन्द किशोर सिंह ग्राम+पो०-कारीसाथ थाना-उदवन्तनगर जिला-भोजपुर सी.आरनं०-2014321665	किडनी रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	सुजय कुमार गुप्ता पिता-राम लाल प्रसाद ग्राम-अदमापुर पो०-तोरणी थाना-शिव सागर जिला-रोहतास सी.आरनं०-2015059650	किडनी रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।

28/11/15

5	सरिता कुमारी पिता-अशर्फी भगत ग्राम-पो0-तेलहुआ थाना-नौतन जिला-प0 चम्पारण सी.आरनं0-2015055545	Nephritic रोग	विशेष परिस्थिति में 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
6	रामझरी देवी पति-राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा ग्राम-सन्तघाट पो0-बेतिया थाना-नगर जिला-प0 चम्पारण सी.आरनं0-2015493160	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	चिन्ता देवी पति-मुन्द्रिका महतो ग्राम-शेख धुरवा पो0-बेतिया डीह थाना-मनुआ जिला-प0 चम्पारण सी.आरनं0-2014702180	ब्रेन ट्युमर	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
8	रामानुज राव पिता-स्व. जगरनाथ राव ग्राम-इन्द्रपुरी पो0-बेतिया थाना-नगर जिला-प0 चम्पारण सी.आरनं0-2014504054	पीत की थैली रोग	₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,05,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,05,000/- (बारह लाख पांच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509016 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

Handwritten signature

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(डा.आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...509020...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1319(14) पटना, दिनांक 25/11/15
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
20/11/15
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पत्रांक 14 / एम 11-5/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के स मक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुशीला नन्द प्रसाद पिता-स्व. कृष्णा देव प्रसाद ग्राम-कुर्जी कोठीया पो०-सदाकत आश्रम थाना-दीग्घा जिला-पटना सी.आरन०-6720/15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	अनवरी खातुन पति-मो० सफीक साह ग्राम-पो०+थाना-साहपुर जिला-भोजपुर	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509021 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।

21/11/15
2/11/15

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509021.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

1320 [14]

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	ममता कुमारी पिता-गणेश पंडित ग्राम-विसकुरवाँ पो०-मरौरा थाना-बिहारशरीफ जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹० 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 509023 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...509023...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)


ज्ञापांक

1322[14]

पटना, दिनांक

25/11/15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं०- 14/एम 11-2/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सैयद तनवीर सज्जाद पिता-स्व. सैयद अली सज्जाद ग्राम-चौबा लाल लेन नबाब बहादुर रोड, पो०-झाउगंज, थाना-खाजेकला, जिला-पटना	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	राधा देवी पति-धिरेंद्र कुमार शर्मा ग्राम-बेलधना पो०-नुरसराय थाना-चंडी जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	पप्पु कुमार पिता-कजिन यादव ग्राम-लालगंज सिमरौता पो०-सरबहदा थाना-खिजर सराय जिला-गया	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	राजमनी देवी पति-रामदेव महतो ग्राम-पूर्वी लोहानीपुर पो०-थाना-कदमकुआ जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	गिरजा देवी पति-हरि नारायण शर्मा ग्राम-पो०-गोपालपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000/-

20/11/15
25/11/15

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509024 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **5020 418 8262** खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए
अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509024 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में
वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1323 (14) पटना, दिनांक 25/11/15
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित
मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
28/11/15
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गजेन्द्र यादव पिता-राजदेव यादव ग्राम-पोखरीया पो०-दनौली थाना-बलीया पु० स्टेशन जिला-बेगूसराय केसफाइलनं०-सी.एम/11108	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	निमा देवी पति-सुनील कुमार श्रीवास्तव ग्राम-नया टोला पो०+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली केस फाइल नं०-25628	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रूपया का क्रास चेक सं०... 509017..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

30/11/15
28/11/15

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1316 (14)

पटना, दिनांक

25/11/15

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/15
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अकला देवी पति-बद्री साह ग्राम-रामनगर बैरीया पो०-श्यामपुर तेतराहा थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण हॉस्पिटलओ.पीडी-2870/15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये का क्रास चेक सं०.....509018..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 25/11/15

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित

मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एंड एसिसयेट
लखनऊ, उ० प्र०-226003

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.2015 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० रफीक पिता-स्व. अली हसन मियां ग्राम-पो०-लाल सरैया थाना-मझौलीया जिला-प० चम्पारण	Left Perital sol Meningiome	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपया का क्रास चेक सं०.....5-09049
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 25/11/15

ज्ञापांक

1318 (14)

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पत्रांक 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पुनम कुमारी पति-विजय प्रसाद ग्राम-ददनापुर पो०-मथुरापुर थाना-गुरारू जिला-गया हौस्पीटल नं०-318870 जी.	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 80,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 579020 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

21/11/15
25/11/15

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(डा.आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...509020...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1319(14) पटना, दिनांक 25/11/15
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
20/11/15
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अजय कुमार पिता-राजन साह ग्राम-राजापुर चैनपुरा पो०-जी०पी०ओ० थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
2	वीणा देवी पति-बाल्मीकी कुमार ग्राम-जय रामपुर पो०-धर्मपुर रती थाना-विरपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	मनोरमा देवी पति-रमेश चन्द्र सिंह ग्राम-यारपुर पो०-जी०पी०ओ० थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	ललीता देवी पति-शक्ति नाथ राय ग्राम-खपुरा पो०-खानपुर पकड़ी थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
5	अबुल हया पिता-अब्दुल हई ग्राम-पो०-बेलहौरी थाना-दुल्हिन बाजार जिला पटना	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।

31/11/15
25/11/15

6	रंजु कुमारी पिता-रामजी प्रसाद ग्राम-जानकी नगर पो-उमना थाना-कोपा जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
7	दिनेश पोद्दार पिता-स्व. मुंशी लाल पोद्दार ग्राम-कस्तुरबा नगर पो-महेन्द्र थाना-बहादुरपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			₹ 6,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,50,000/- (छः लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509022.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509022.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.11.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विनोद कुमार ठाकुर पिता-केशव प्रसाद ठाकुर ग्राम-न्यु जक्कनपुर पो०-जी०पी०ओ० थाना-जक्कनपुर जिला-पटना सी.आरनं०-091639/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	सदानन्द मंडल पिता-बैद्यनाथ मंडल ग्राम-मठीया मोहन पो०-पचपकड़ी थाना-ढाका जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं०-94101/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	राज कुमारी देवी पति-कपिल प्रसाद ग्राम-कृष्णा बिगहा पो०-बांसडीह थाना-हीलसा जिला-नालंदा सी.आरनं०-136201/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	बनवारी सुतीहार पिता-स्व. खुवी सुतीहार ग्राम-बतरान पो०-फिंगलास थाना-राघोपुर जिला-सुपौल सी.आरनं०-120103/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/15
22/11/15

5	अमीरी नायक पिता-स्व. गेना नायक ग्राम+पो0-भटचौरा थाना-बाबु बरही जिला-मधुबनी सी.आरनं0-131299 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
6	मेहजबी खातुन पति-मो0 जाबुल ग्राम+पो0-चौकता थाना-महलगांव जिला-अररिया सी.आरनं0-121988 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	हरिहर झा पिता-स्व0 नरेश झा ग्राम-डाढी पो0+थाना-अन्धराठाढी जिला-मधुबनी सी.आरनं0-111956 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
8	रामाशीष मंडल पिता-महेन्द्र मंडल ग्राम-पो0-शोभन थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-126603 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
9	जनार्दन प्रसाद सिंह पिता-स्व. जगदीश मंडल ग्राम-गालीमपुर पो0-बैदाचक थाना-अमरपुर, जिला-बांका सी.आरनं0-093444 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
10	कपिल ठाकुर पति-मुनी ठाकुर ग्राम-इगुना, पो0-बारा गंधार थाना-मुफसिल जिला-गया सी.आरनं0-116820 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
11	आशा देवी पति-चन्द्रदेव राय ग्राम-पथ लोटिया पो0-कटेसर थाना-बिहटा, जिला-पटना सी.आरनं0-127116 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
12	बिरेन्द्र कुमार सिंह पिता-सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-अहमदपुर पो0-असरगंज, थाना-तारापुर जिला-मुंगेर सी.आरनं-125186 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

13	विजय कुमार पिता-चन्द्र देव यादव ग्राम-मेनका पो0-पननीया थाना-झमामगंज जिला-गया सी.आरनं0-128906 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
14	पार्वती देवी पति-राजेन्द्र मंडल ग्राम-खैरा पो0-दंडखोरा थाना-नगर जिला-कटिहार सी.आरनं0-110154 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
15	कौशल्या कुंवर पति-स्व0 मुन्नी सिंह ग्राम-चन्दन बीगहा पो0-करमा लहंग थाना-टंडवा जिला-औरंगाबाद सी.आरनं0-92270 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
16	सहरू बेगम पति-मो. अहमद अंसारी ग्राम-चम्पापुर पो0-घोसवरी थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना पंजी / ओ0पीडी-020555 / 15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
17	हीरा देवी पति-राम प्रकाश साह ग्राम-पो0-दुल्ली पट्टी थाना-जय नगर जिला-मधुबनी सी.आरनं0-125130 / 15	कैंसर रोग	₹ 25,000 / - (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
18	कलावती देवी पति-राजेन्द्र साव ग्राम-सालीमपुर अहरा पो0-कदमकुआ थाना-गांधी मैदान जिला-पटना पंजी / ओ0पीडी-091536 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 / - (चालीस हजार) स्वीकृत।
19	कमलेश सिंह पिता-स्व. राम पुकार सिंह ग्राम-कोटीया पो0-खगौल थाना-साहपुर जिला-पटना सी.आरनं0-93018 / 15	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।

20	मो० रहमत पिता-मो० सलाउद्दीन ग्राम-इस्लामपुर पो०-हरियाही थाना-निर्मली, जिला-सुपौल पंजी/ओ.पी.डी-060028/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
21	शांति देवी पति-राज कुमार सिन्हा ग्राम+पो०-भोभी थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा सी.आरनं०-81485/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
22	निर्मला देवी पति-राम कुमार शर्मा ग्राम-कातर पो०-हसुनबाजार थाना-पीरो, जिला-भोजपुर पंजी/ओ०पी०डी-031990/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
23	शिव पुजन यादव पिता-सहराज यादव ग्राम-लक्ष्मण बीगहा पो०-थाना+जिला-औरंगाबाद सी.आरनं०-117745/15	कैंसर रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
24	देवनाथ साह पिता-रामानन्द प्रसाद साह ग्राम-पो०-बखरी थाना-पताही जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं०-72206/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
25	महेन्द्र साह पिता-स्व. जागो साह ग्राम-खैरमा पो०-थाना+जिला-जमुई सी.आरनं०-135570/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
26	लक्ष्मण साह पिता-स्व. राम दयाल साह ग्राम-बहादुरपुर पो०-थाना+जिला-समस्तीपुर सी.आरनं०-31090/14	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
27	मो. जमशेद पिता-जुबैर खान ग्राम-पीरगंज पो०-थरबीट्टा थाना-किशनपुर जिला-सुपौल सी.आरनं०-78073/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

20/11/15 4

28	नसीमा खातुन पति-इसराफील ग्राम-कुमारपुर पो0-रीफातपुर थाना-इसीपुर बाराहाट जिला-भागलपुर पंजी/ओ.पी.डी-06555/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
29	बिन्दा देवी पति-जगरनाथ चौधरी ग्राम-भगवानपुर पो0-मोकर थाना-अग्रैल जिला-रोहतास सी.आरनं0-122188/15	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
30	रुधा देवी पति-हजारी सिंह ग्राम-चमंडी पो0-पोंडील थाना-कुर्था जिला-अरवल सी.आरनं0-133267/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
31	इन्दु देवी पति-संजय कुमार ग्राम-पल्लवी नगर, बाजार समिति पो0-महेन्दु थाना-बहादुरपुर जिला-पटना सी.आरनं0-76452/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
32	अवधेश कुमार झा पिता-कैलाश झा ग्राम-गराय गांव पो0-गोविन्दपुर थाना-मंसुरचक जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-137236/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
33	राम दासो देवी पति-मोती लाल सिंह ग्राम-कानध बहुआरा पो0-गोझारी थाना-काराकाट जिला-रोहतास सी.आरनं0-065670/14	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
34	इन्द्रासन देवी पति-शैलेश दास ग्राम-बन्नी पो0-नगरा थाना खैरा, जिला-सारण सी.आरनं0-137219/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

35	गंगीया देवी पति-नागेन्द्र सिंह ग्राम-हरि छपरा पो0-लगमा थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं0-135567 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
36	महादेव साह पिता-स्व. गंगा साह ग्राम+पो0+थाना-पंडौल जिला-मधुबनी पंजी/ओ0पी.डी -058126 / 15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत।
37	अखिलेश कुमार पिता-अवधेश यादव ग्राम-छोटी गोविन्दपुर पो0-थाना-जमालपुर जिला-मुंगेर सी.आरनं0-107145 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
38	जितेन्द्र कुमार पिता-ध्रुव पाल ग्राम-जीवछपुर पो0-महेशपुर थाना-पीपरा, जिला-सुपौल सी.आर नं0-77182 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
39	सुरेन्द्र कुमार पिता-स्व0 बनवारी प्रसाद ग्राम-सुभानी बीगहा पो0-गंगापुर थाना-हुलासगंज जिला-जहानाबाद सी.आरनं0-128680 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
40	गीता देवी पति-कारु तांती ग्राम-पो0-बजौड़ा थाना-डोभी जिला-गया सी.आरनं0-97895 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 22,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 22,50,000 /-(बाइस लाख पचास हजार)मात्र का क्रास चेक सं0...509025
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

28/11/14

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजो से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में अवश्य किया जाय। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1324 (14)

पटना, दिनांक

25/11/15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)